

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 6 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (1) क्रम सं. 22 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5%" रखी जाएगी ;
- (2) क्रम सं. 63 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "30%" रखी जाएगी ;
- (3) क्रम सं. 64 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (4) क्रम सं. 77 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (5) क्रम सं. 79 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (6) क्रम सं. 100 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि "2009 81 00, 2009 90 00," का लोप किया जाएगा;
- (7) क्रम सं. 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (8) क्रम सं. 103 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "50%" रखी जाएगी ;
- (9) क्रम सं. 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|---------------------------|--|-----|-----|-----|
| "284 | 4016 95 90, 4016 99 90 | (i) प्राकृतिक रबड़ दूध निर्मित गुब्बारों (ii) माइक्रोफोन रबड़ केस सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए (iii) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गास्केट, जिसके अंतर्गत रबड़ जैसे एस.बी.आर., ई.पी.डी.एम., सी.आर., सी.एस., सिलिकान से सिलिंग गास्केट/ केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/ रबड़ों के संयोजन सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए से भिन्न सभी माल | 10% | - | -"; |

(10) क्रम सं. 297 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| "297क | 4823 90 90 | पतंग से भिन्न सभी माल | 10% | - | -"; |

(11) क्रम सं. 338 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----|-----|
| "338 | 6815 91 00, 6901, 6902 और 6903 | सभी माल | 7.5% | - | -"; |

(12) क्रम सं. 340 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" रखी जाएगी ;

(13) क्रम सं. 341 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5%" रखी जाएगी ;

(14) क्रम सं. 349 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5%" रखी जाएगी ;

(15) क्रम सं. 350 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5%" रखी जाएगी ;

(16) क्रम सं. 351 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5%" रखी जाएगी ;

(17) क्रम सं. 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------------|--|------|-----|-----|
| "448क | 8407 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, के इंजन से भिन्न सभी माल | 7.5% | - | -"; |
| 448ख | 8407 21 00 | बाहरी मोटर | 5% | - | - |
| 448ग | 8408 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, के इंजन से भिन्न सभी माल | 7.5% | - | - |
| 448घ | 8409 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, में इसी तरह प्रयुक्त शीर्ष 8407 या 8408 के इंजन के साथ एकमात्र या मुख्यतः उपयोग के लिए | 7.5% | | |

| | | | | | |
|------|------------|--|------|---|-----|
| | | उपयुक्त पुर्जों से भिन्न सभी माल । | | | |
| 448ड | 8483 10 91 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, के शीर्ष 8407 के अधीन आने वाले इंजन के लिए क्रैंक साफ्ट से भिन्न सभी माल । | 7.5% | - | - |
| 448च | 8483 10 92 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, के शीर्ष 8408 के अधीन आने वाले इंजन के लिए क्रैंक साफ्ट से भिन्न सभी माल । | 7.5% | - | -;" |

- (18) क्रम सं. 462 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "सीएनसी खराद के विनिर्माण में उपयोग के लिए गोला स्क्रू (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनरी केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अधीन आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन औजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (19) क्रम सं. 463 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "सीएनसी खराद के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिनियन रेखीय गतिज गाइड(टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनरी केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अधीन आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन औजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (20) क्रम सं. 464 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "सीएनसी खराद के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी प्रणाली(टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनरी केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अधीन आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन औजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(21) क्रम सं. 489 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------|---|------|-----|-----|
| "489क | 8511 | (i) शीर्ष 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटरयान, (ii) शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले मोटर कार, या (iii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल, के इंजन के साथ संयोजन में प्रयुक्त तरह से भिन्न सभी माल । | 7.5% | - | -"; |

(22) क्रम सं. 491 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|---|---|------|-----|-----|
| "491. | 8544 (सिवाय 8544 70 10 या 8544 70 90) | सभी माल, [सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी के सिवाय] | 7.5% | - | -" |

(23) क्रम सं. 499 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| "499. | 8529 90 90 | रेडियों ट्रॉकिंग टर्मिनल के पुर्जे | 5% | - | 9"; |

(24) क्रम सं. 514 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(25) क्रम सं. 516 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|--------------------------|--|-----|-----|-----|
| "516. | 8529 | शीर्ष 8529 के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमेटिंग डायोड (एलईडी) टीबी पेनलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) ओपन सेल (15.6" और ऊपर); (ii) प्लेट डिफ्यूजर; (iii) फिल्म डिफ्यूजर; (iv) रिफ्लेक्टर शीट; (v) फिल्म, टोप; (vi) फिल्म, मिडल; (vii) फिल्म, बोटम; (viii) बीएआर, एलईडी; (ix) बेजल; (x) बप्लेक कवर शीट; (xi) ब्लेक लाइट यूनिट मोड्यूल। | 10% | - | 9"; |
| 516क. | 8529 10 99 8529 90 90 | शीर्ष 8525, शीर्ष 8526 या शीर्ष 8527 के उपकरणों के साथ पूर्णतः या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे | 10% | - | - |
| 516ख. | 8529 10 99 8529 90 90 | शीर्ष 8528 के उपकरणों के साथ पूर्णतः या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे, अर्थात् :- (i) अन्य केथोड रे ट्यूब मानीटर [8528 49 00] (ii) अन्य मानीटर [8528 59 00]; (iii) अन्य प्रोजेक्टर [8528 69 00]; (iv) (क) विडियो डिस्प्ले या स्क्रीन में लगाए | 10% | - | -"; |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | जाने के लिए डिजाइन न किए गए [8528 71 00], और (ख) अन्य मोनोक्रोम [8528 73], टेलीविजन के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे रेडियो प्रसारण रिसेवर या ध्वनि या वीडियो रिकार्डिंग या पुनर्उत्पादन उपकरण में लगाए जाने हैं या नहीं । | | | |
|--|--|--|--|--|--|

(26) क्रम सं0 524 के सामने स्तंभ (4) में –

(क) प्रविष्टि “10%” के स्थान पर प्रविष्टि “15%” रखी जाएगी;

(ख) प्रविष्टि “20%” के स्थान पर प्रविष्टि “25%” रखी जाएगी;

(27) क्रम सं0 526 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि “10%” के स्थान पर प्रविष्टि “15%” रखी जाएगी;

(28) क्रम सं0 530 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------|---|-----|-----|-----|
| “530क | 8708 | शीर्ष 8702 से शीर्ष 8704 के मोटर यानों के उपसाधनों और पुर्जों के रूप में उन प्रयुक्त से भिन्न सभी माल | 10% | - | -”; |

(29) क्रम सं0 531 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि “10%” के स्थान पर प्रविष्टि “15%” रखी जाएगी;

(30) क्रम सं0 563 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|---|---------|------|-----|-----|
| “563क | 9018, 9019, 9020, 9021 या 9022 [सिवाय 9018 32 30, 9018 50 20, 9018 90 21, 9018 90 24, 9018 90 43, 9018 90 95, 9018 90 96, 9018 90 97, 9018 90 98, 9019 10 20, 9022 90 10 या 9022 90 30] | सभी माल | 7.5% | - | -”; |

(31) क्रम सं0 578 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------------|---|-------|-----|-----|
| "578क | कोई अध्याय | कर्णावर्त तंत्रिका आरोपण के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पुर्जे या उपसाधन | शून्य | - | 9"; |

(32) क्रम सं0 586क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(33) क्रम सं0 594 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|---------|-----|-----|-----|
| "594 क | 9506 91 | सभी माल | 10% | - | -" |

[फा.सं0 334/4/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 5/2018-सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 2018 सा.का.नि. 92 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।